न्यायालय सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0) जायल जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार प्रथम आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या– 31/2019

1. जयराम पुत्र सांवताराम, जाति जाट,
2. भुगानराम पुत्र सांवताराम, जाति जाट,
3. प्रेमाराम पुत्र सांवताराम, जाति जाट,
   निवासीगण जायल, तहसील जायल, जिला नागौर

...............वादी

बनाम

1. सांवताराम पुत्र खुमाराम, जाति जाट,
2. बाउदेवी पुत्री सांवताराम, जाति जाट,
   निवासी जायल तहसील जायल, जिला नागौर
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

.... प्रतिवादीगण

वाद वास्ते घोषणा खातेदारी व विभाजन,
अधीन धारा 88 व 53 राज. टिनेन्सी एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता– 1. वादीगण की ओर से जीयाराम गोदारा, एडवोकेट
2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री शिवकुमार पाराशर एडवोकेट
3.प्रतिवादी संख्या 3 के ईकतरफा कार्यवाही है।

:: निर्णय ::

दिनांक –28.08.2019

वादीगण के वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार हैं कि वादीगण ने वाद पेश करते हुऐ कथन किया कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी भूमियां मौजा जायल तहसील जायल में खसरा नं. 42 रकबा 7.00 बीघा, खसरा नं. 691 रकबा 13.18 बीघा, खसरा नं. 1002 रकबा 14.01 बीघा, खसरा नं. 1006 रकबा 10.00 बीघा, तथा खसरा नं. 1008 रकबा 9.00 बीघा

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

कुल रकबा 54.04 बीघा आई हुई है। जिसमे वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का बराबर बराबर हिस्सा है। लेकिन राजकीय रेकर्ड में भूमियां श्री सांवताराम के नाम दर्ज है। इसलिए यह दावा वास्ते घोषणा खातेदारी के लिए पेश है। अब वर्ष 2070 मे आखातीज को पक्षकारान ने घरेलू तौर पर अपनी भूमियो का विभाजन कर लिया है जिसके अनुसार वादी संख्या 1 जयराम के बंट में वादग्रस्त भूमि मौजा जायल के खेत खसरा नं. 691 रकबा 13.18 में से 6.19 बीघा उतरी भाग खसरा नं. 1008 रकबा 9.00 बीघा में से 3.00 बीघा उतरी भाग, खेत खसरा नं. 1006 रकबा 10.00 बीघा में से 8.00 बीघा उतरी हिस्सा नजरी नक्शा अनुसार रखा गया है। वादी संख्या 2 भुगानाराम के बंट में वादग्रस्त भूमि मौजा जायल के खेत खसरा नं. 691 रकबा 13.18 मे से 6.19 बीघा दक्षिणी भाग, खसरा नं. 1008 रकबा 9.00 बीघा मे से 3.00 बीघा मध्य भाग, खेत खसरा नं. 1002 रकबा 14.01 बीघा मे से 8.00 बीघा दक्षिणी हिस्सा नजरी नक्शा अनुसार रखा गया है। वादी संख्या 3 प्रेमाराम के बंटमे मौजा जायल का खेत खसरा नं. 42 रकबा 7.00 बीघा रखा गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 शामलाती बंट मौजा जायल के खेत खसरा नं. 1008 रकबा 9.00 बीघा मे से 3.00 बीघा दक्षिणी हिस्सा, खसरा नं. 1002 रकबा 14.01 बीघा में से 6.01 बीघा उत्तरी हिस्सा, खसरा नं. 1006 रकबा 10.00 बीघा में से 2.00 बीघा दक्षिणी भाग नजरी नक्शानुसार रख गया है। लेकिन इसके बाद भी इस विभाजन का अमल दरामद राजकीय रेकर्ड में नही हुआ है इसलिए यह दावा वास्ते विभाजन के लिए पेश किया जा रहा है तथा राज्य सरकार ऐसे दावो मे आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार जायल को भी पक्षकार बनाया है।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री शिवकुमार पाराशर अधिवक्ता ने वकालत नामा मय ईकयाली जवाब दावा पेश कर वाद से सहमति जताई तथा प्रतिवादी संख्या 3 के बावजूद तामील गैर हाजिर रहने से उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में शपथ पत्र वादी भुगानराम, तथा प्रतिवादी संख्या 1 सांवताराम के शपथ पत्र पेश किये। तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल खतौनी संवत 2069 से 2072 प्रदर्श 1 तथा नकल खतौनी संवत 2013 से 2016 प्रदर्श 2 पेश की गई। तथा साथ ही शपथ पत्र प्रतिवादी सांवताराम का अन्य संतान न होने बाबत भी पेश किया। तथा इसके बाद वकील वादी ने साक्ष्य बंदकी।

बहस वकील वादी की ईकतरफा सुनी गई। जिन्होंने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्र तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। हमने वादी के वाद तथा प्रस्तुत साक्ष्य और दस्तावेजो से वादी के वाद की पूर्णतया ताईद होती है। तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

1. कि यह घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त भूमि मौजा जायल तहसील जायल में खसरा नं. 42 रकबा 7.00 बीघा, खसरा नं. 691 रकबा 13.18 बीघा, खसरा नं. 1002 रकबा 14.01 बीघा, खसरा नं. 1006 रकबा 10.00 बीघा, तथा खसरा नं.

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) जायल जिला नागौर

Scanned by CamScanner

1008 रकबा 9.00 बीघा कुल रकबा 54.04 बीघा वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की है।

2. कि इसका विभाजन पक्षकारों के बीच करते हुऐ:–

1. वादी संख्या 1 जयराम के बंट व कब्जा कास्त में वादग्रस्त भूमि मौजा जायल के खेत खसरा नं. 691 रकबा 13.18 में से 6.19 बीघा उत्तरी भाग खसरा नं. 1008 रकबा 9.00 बीघा में से 3.00 बीघा उत्तरी भाग, खेत खसरा नं. 1006 रकबा 10.00 बीघा में से 8.00 बीघा उत्तरी हिस्सा नजरी नक्शा अनुसार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 2 भुगानाराम के बंट व कब्जा कास्त में वादग्रस्त भूमि मौजा जायल के खेत खसरा नं. 691 रकबा 13.18 में से 6.19 बीघा दक्षिणी भाग, खसरा नं. 1008 रकबा 9.00 बीघा में से 3.00 बीघा मध्य भाग, खेत खसरा नं. 1002 रकबा 14.01 बीघा में से 8.00 बीघा दक्षिणी हिस्सा नजरी नक्शा अनुसार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 शामलाती बंट व कब्जा कास्त में मौजा जायल के खेत खसरा नं. 1008 रकबा 9.00 बीघा में से 3.00 बीघा दक्षिणी हिस्सा, खसरा नं. 1002 रकबा 14.01 बीघा में से 6.01 बीघा उत्तरी हिस्सा, खसरा नं. 1006 रकबा 10.00 बीघा में से 2.00 बीघा दक्षिणी भाग नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है। इसी माफिक डिकी पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेश कुमार)
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जायल।
जायल,जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जायल।
जायल,जिला नागौर

Scanned by CamScanner